180

संख्या–423 /XVII(4)/2014/115/08

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 04 मार्च, 2014

विषयः– एस0पी0ए0 अन्तर्गत इन्दिरा प्रियदर्शनी कामकाजी महिला छात्रावास हरिद्वार के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2279/आई0सी0डी0एस0/का0महि0छा0–2601/2013–14 दिनांक 28 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में ग्राम जमालपुर, खुर्द परगना, ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार में स्थित खाता खतोनी साल–1417–1422 फ0 वर्तमान खाता संख्या–58 के खसरा संख्या–42 मि0 क्षेत्रफल 0.620 है0 व खसरा संख्या–63 मि0 क्षेत्रफल 0.200 है0 कुल क्षेत्र 0.8200 है0 अर्थात 02 एकड़ आवंटित भूमि पर इन्दिरा प्रियदर्शनी कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु परीक्षणोपरान्त संस्तुत कुल लागत रू0 1570.72 लाख (सिविल कार्यो हेतु रू0 1327.29 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु रू0 243.43 लाख) के सापेक्ष नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, हरिद्वार को उक्त छात्रावास के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 405.00 लाख (रू0 चार करोड़ पांच लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2013–14 में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:–

1. प्रस्तावित सभी कार्यो को एक प्रोजेक्ट के रूप में करते हुए दिनांक 22–2–2014 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक के क्रम में जारी कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशो के अनुसार परियोजना प्रत्येक दशा में 18 माह की भीतर पूर्ण की जायेगी। किसी भी स्थिति में पुनः पुनरीक्षित आंगणन तथा नये कार्यो को प्रस्तावित नही किया जायेगा। आगामी स्वीकृति मांगे जाने के समय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से आवश्य अवगत कराया जायेगा।
2. कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008, शासनादेश संख्या 414/XXVII(7)/2007 दिनांक 23–10–2008 एवं शासनादेश संख्या 594/XXVII(7)/2010 दिनांक 09–06–2010 के अनुसार एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण करायें जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी हागी।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकि दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. प्रस्तावित योजना पी0पी0पी0 मोड़ में संचालित की जायेगी। स्वः वित्त पोषण होगा जिससे राज्य सरकार में कोई वित्तीय भार नही पड़ेगा।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशो का कड़ाई से पालन किया जाय।
9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यो से इतर कार्यो/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकि दृष्टि से मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
11. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्तापरीक्षण के सम्बन्ध मे नियोजन विभाग से समन्वय का तदनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्ययभार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही यथा आवश्यकता नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा

3– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

4– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में हाने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये विभागीय बजट में अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–02– समाज कल्याण–103–महिला कल्याण–10–कार्यशील महिला छात्रावास का निर्माण विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0)–24–वृहद निर्माण के मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

6– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 232/XXVII(1)/ 2013-14 दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या– 423 /XVII(4)/2014/115/08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल, मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 हरिद्वार।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव